न्यायालय सहायक, कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 21/23 वाद GCMS NO : 2022/00045
पूर्व प्रकरण संख्या : 80/17

1. श्री माना पिता नन्दाजी, निवासी कानपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. श्री रामा पिता तेजा जी डांगी, निवासी कानपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्री चोखा पिता चतरा जी डांगी, निवासी कानपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. श्री माणक पिता चतरा जी डांगी, निवासी कानपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. श्री रतन पिता चतरा जी डांगी, निवासी कानपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
5. श्री माना पिता गंगा जी डांगी, निवासी कानपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
6. मु0 हरकू बाई बेवा गांगा जी डांगी, निवासी कानपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
7. श्री उदयलाल पिता कना उर्फ कसना जी डांगी, निवासी कानपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
8. मु0 जेती बेवा कना उर्फ कसना जी डांगी, निवासी कानपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री खेमराज डांगी, दिनेश डांगी अधिवक्ता वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 10:59:58 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 15.07.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम भोईयों की पंचोली, तहसील गिर्वा में आराजी संख्या 104, 107 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2000 हैक्टयर है जिसके साबिक आराजी संख्या 50/1 रकबा 11 बिस्वा होकर खेतनामी तलाई के नाम से पुकारा जाता है। उक्त आराजी के पूर्व में वेला व नारायण पिता भगा जी पूर्बिया की जमीन, पश्चिम में बावजी की डोली, उत्तर में नारायण पिता भगाजी पूर्बिया की जमीन, दक्षिण में वादीगण मोती, माना पिता नन्दाजी की जमीन है। वादग्रस्त आराजी केसा, चतरा, गांगा, रामा, कसना पिता तेजा जी डांगी, निवासी कानपुर के खातेदारी की थी जो केसा व चतरा के हिस्से में आयी जिसे खातेदार केसा, चतरा पिता तेजा जी डांगी ने वादीगण के पिता नन्दा जी को तारीख 15.08.1958 को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया व वीदगण के पिता नन्दा जी के नाम बिकावनामा निष्पादित कर रजिस्ट्री करा दी तब से वादग्रस्त आराजी पर नन्दा जी चले आए है, व नन्दा जी मृत्यु के पश्चात् नन्दा जी के वारिसान वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के पिता द्वारा खरीदी गई व यह समझ गए कि जमीन अपने नाम पर हो गई है। वादीगण के पिता अनपढ़ व्यक्ति थे तथा उन्हे यह पता नहीं था कि नामान्तरण खुलवाना पड़ता है। अभी जमाबन्दी की नकल ली तो मालूम हुआ कि उक्त आराजीया वादीगण के नाम दर्ज होकर केसा, चतरा, गांगा, रामा, कसना पिता तेजा डांगी के नाम दर्ज चली आ रही है। वादीगण का कब्जा क्रय दिनांक से चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का विक्रय पत्र के आधार पर सन् 1958 से प्रतिवादीगण की जानकारी में कब्जा चला आ रहा है जिससे भी कानूनन वादीगण एडवर्स पजेशन से भी खातेदा रहो गए है। प्रतिवादी धमकी दे रहे है कि हमें पैसा दोगे तो हम तुम्हारे नाम पर दर्ज करा देगें नहीं तो जबरन कब्जा कर लेंगें। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण को खातेदार घोषित फरमाया जावे तथा प्रतिवादीण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश कर कथन किया गया कि वादीगण स्वयं समझदार व्यक्ति है तथा कई समय से नामान्तरण की प्रकिया से जानकार है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य भूमि के सम्बन्ध में कोई वार्तालाप नहीं हुआ है, ना ही प्रतिवादीगण द्वारा कोई मांग वादीगण से की गई है। वादीगण ने यह वाद विक्रय पत्र एवं विपरीत कब्जा, दो भिन्न अवधारणाओं का अवलम्ब लेते हुए प्रस्तुत किया है। वादीगण ने तथाकथित विक्रय विलेख के 60 वर्षो बाद यह वाद पेश किया है जो परिसीमा से बाहर होकर पोषणीय नहीं है। अतः वादीगण का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 10:59:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में दावे जवाबदावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी के मौरूस नन्दा द्वारा दिनांक 15.08.1958 को रजिस्टर्ड विक्रय से केसा चतरा पिता तेजा डांगी से क्रय कर काबिज चले आ रहे है जिससे वादीगण वादग्रस्त भूमि को खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है ?

.....वादीगण

2. वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है लेकिन वर्तमान जमाबन्दी में नाम होने से उक्त वादग्रस्त भूमि रहन, बैह, बक्षीश कब्जा आदि करने की नियत के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

.....वादीगण

3. आया प्रतिादीगण वादीगण के विरूद्ध पूर्व में कोई वाद आदि चले है, जिससे उक्त आराजीयात बाबत् विक्रय होने से सम्बन्धित जानकारी के अभाव में है इससे उक्त वादग्रस्त भूमि के हम प्रतिवादीगण ही खातेदार है ?

.....प्रतिवादीगण

वादी द्वारा साक्ष्य PW1 माना पिता नन्दाजी व PW2 हेमराज पिता मानाजी का शपथ पत्र पेश किया गया। दस्तावेजों को पद्रर्श कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में राजस्व ग्राम भोईयों की पंचोली जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 41 प्रदर्श 1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2, रजिस्टर्ड विकाव नाम दिनांक 15.08.1958 प्रदर्श 3 है। प्रतिवादी को जिरह हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जिरह नहीं करने से प्रतिवादी का जिरह अवसर बंद किया जाकर प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किया गया। प्रतिवादी को कई अवसर दिए जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

वादी विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात केसा, चतरा, गांगा, रामा कृष्णा पिता तेजा जी डांगी की खातेदारी की थी जो केसा व चतरा के हिस्से में आई थी। जिसे खातेदार केसा चतरा पिता तेजा डांगी द्वारा वादीगण के पिता नन्दा जी तारीख 15.09.1958 को रजिस्ट्री करवाई गई। क्रय करने की दिनांक से आज दिनांक तक नन्दा जी व नन्दा जी की मृत्यु पश्चात् उनके वारिसान जो वादीगण है, काबिज चले आ रहे है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में केसा, चतरा, गांगा, रामा, कना उर्फ कृष्णा के नाम दर्ज है। जिससे प्रतिवादीगण द्वारा इस बात का फायदा उठाते हुए धमकी दी जा रही है कि वादग्रस्त आराजीयात का अन्यत्र विक्रय कर देगें। अतः निवेदन है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 10:59:58 IST
Reason: SelfAttested

कि वादी को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार घोषित फरमा जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम भोईयों की पंचोली, तहसील गिर्वा के हाल आराजी संख्या 104, 107 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2000 हैक्टयर साबिक आराजी संख्या 50/1 रकबा 11 बिस्वा भूमि है जिसे खेतनामी तलाई के नाम से पुकारा जाता है। वादग्रस्त आराजी केसा, चतरा, गांगा, रामा, कसना पिता तेजा जी डांगी, निवासी कानपुर के खातेदारी की थी जो केसा व चतरा के हिस्से में आयी जिसे खातेदार केसा, चतरा पिता तेजा जी डांगी ने वादीगण के पिता नन्दा जी को तारीख 15.08.1958 को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया व वीदगण के पिता नन्दा जी के नाम बिकावनामा निष्पादित कर रजिस्ट्री करा दी तब से वादी काबिज है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में केसा, चतरा, गांगा, रामा, कना उर्फ कृष्णा के नाम दर्ज है। जिससे वादीगण वादग्रस्त आराजीयात की घोषणा का दावा पेश किया गया है।

न्यायायल द्वारा तनकीवाद विवेचन निम्नानुसार है :–

1- आया वादी के मौरूस नन्दा द्वारा दिनांक 15.08.1958 को रजिस्टर्ड विक्रय से केसा चतरा पिता तेजा डांगी से क्रय कर काबिज चले आ रहे है जिससे वादीगण वादग्रस्त भूमि को खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है ?

.....वादीगण

➢ तनकी संख्या 1 को साबित कराने का दायित्व वादीगण का है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 3 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पेश किया गया जिसके अनुसार केसा, चतरा पिता तेजा डांगी द्वारा दिनांक 15.08.1958 को साबिक आराजीयात 50/1 रकबा 11 बिस्वा का बिकाव नन्दा जी पिता रामा जी डांगी निवासी कानपुर के पक्ष में बिकाव नामा निष्पादित किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 41 का भी अवलोकन किया गया जिसमें वादग्रस्त आराजीयात 104, 107 केसा, चतरा, गांगा, रामा, कसना पिता तेजा डांगी के नाम दर्ज रेकार्ड है जो प्रतिवादीगण है। हमने मिलान खसरे का भी अवलोकन किया गया जिसमें साबिक आराजी संख्या 50/1 से हाल आराजी संख्या 104 व 107 बनना अंकित है। दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात् न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त साबिक आराजीयात 50/1 रकबा 11 बिस्वा का वादीगण के पिता नन्दा जी डांगी द्वारा दिनांक 15.08.1958 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से केसा चतरा पिता तेजा [illegible] क्रय किया गया। किन्तु राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 10:59:58 IST
Reason: SelfAttested

रेकार्ड में नन्दा जी के नाम नामन्तरण नहीं खुलने से वादग्रस्त आराजीयात के नन्दा जी के नाम नही होकर केसा, कसना, गांगा, चतरा, रामा चतरा पिता तेजा के ही नाम ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। साबिक आराजीयात 50/1 से बने हाल आराजी संख्या 104 व 107 का मिलान क्षेत्रफल से बनना प्रमाणित हुआ है। प्रतिवादीगण उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिए किसी भी न्यायालय में कोई वाद पेश किया हो, इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गए हैं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिससे रजिस्टर्ड बिकावनामा को निरस्त कर दिया गया है। वादीगण के पिता द्वारा रजिस्टर्ड बिकावनामा द्वारा उक्त भूमि को क्रय किया गया जिसका नामन्तरण नहीं हो पाया है। न्यायालय का मानना है कि किसी भी व्यक्ति का राजस्व रेकार्ड में नाम नहीं आने से उसके अधिकार विलोपित नहीं होते है। उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर उक्त भूमि का नामान्तरण नहीं हो पाया एवम् प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। अतः तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

2. वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है लेकिन वर्तमान जमाबन्दी में नाम होने से उक्त वादग्रस्त भूमि रहन, बैह, बक्षीश कब्जा आदि करने की नियत के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

.....वादीगण

➢ तनकी संख्या 2 को साबित कराने का दायित्व वादीगण का है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों का कथन किया गया कि वादग्रस्त साबिक आराजीयात का क्रय वादीगण के पिता नन्दा जी द्वारा प्रतिवादीगण से किया गया किन्तु वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम ही चली आ रही है। है, जिससे प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमदा है। वादीगण द्वारा अपने पिता नन्दाजी द्वारा वादग्रस्त साबिक आराजीयात का क्रय केसा चतरा पिता तेजा जी डांगी से किया जाना प्रमाणित हुआ है। अतः तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में तनकी संख्या 2 भी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

3. आया प्रतिादीगण वादीगण के विरूद्ध पूर्व में कोई वाद आदि चले है, जिससे उक्त आराजीयात बाबत् विक्रय होने से सम्बन्धित जानकारी के अभाव में है इससे उक्त वादग्रस्त भूमि के हम प्रतिवादीगण ही खातेदार है ?

.....प्रतिवादीगण

➢ तनकी संख्या 3 को साबित कराने का दायित्व प्रतिवादीण का है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन मे अपने पक्ष को साबित करने हेतु कोई दस्तावेज पेश पेश नहीं किया गया है। जिससे यह प्रमाणित हो कि वादीगण का वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 10:59:58 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात में कोई हक हिस्सा नहीं हो। अतः प्रतिवादीगण द्वारा तनकी संख्या 3 को ठोस आधारों पर साबित नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

प्रकरण में तनकीवार विवेचन एवम् पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर किये गए उक्त विवेचन अनुसार न्यायालय का मत है कि वादीगण के पिता नन्दा जी द्वारा वादग्रस्त साबिक आराजीयात 50/1 रकबा 11 बिस्वा का केसा चतरा पिता तेजा डांगी से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया गया है उसके बाद वादीगण के पिता नन्दा जी के पक्ष में नामान्तरण नहीं खुला है। जिससे वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में भी केसा, कसना, गांगा, चतरा, रामा चतरा पिता तेजा के ही नाम ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। जिससे वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण के नाम दर्ज है। वादीगण के पिता द्वारा उक्त भूमि के साबिक नम्बर 50/1 रकबा 11 बिस्वा क्रय किया। जिसका रकबा वर्तमान क्षेत्रफल के अनुसार 0.1200 हैक्टयर है। वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज खसरा नम्बर 50/1 के हाल नम्बर 104 व 107 रकबा 0.2000 हैक्टयर भूमि में से 0.1200 हैक्टयर यानि कुल रकबे का 3/5 का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम भोईयों की पंचोली, पटवार हल्का भोईयों की पंचोली, जिसमें वादीगण को खाता संख्या 41 आराजी संख्या 104 व 107 जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। अतः प्रतिवादीगण जो तेजा के वारिसान है, को कुल रकबा 0.2000 हैक्टयर में से 2/5 हिस्सा एवं वादीगण माना पिता नन्दा को 3/5 का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः राजस्व ग्राम भोईयों की पंचोली, पटवार हल्का भोईयों की पंचोली तहसील गिर्वा के खाता संख्या 41 आराजी संख्या 104 व 107 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2000 हैक्टयर में वादीगण माना पिता नन्दा डांगी को 3/5 एवं प्रतिवादीगण केसा पुत्र तेजा, कसना पुत्र तेजा, गांगा पुत्र तेजा, चतरा पुत्र तेजा, रामा पुत्र तेजा को संयुक्त रूप से 2/5 हिस्से एवम् प्रत्येक का 2/25 – 2/25 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिर्वा तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावें। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 10:59:58 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 21/23 सन 2023 (1) श्री माना पिता नन्दाजी, निवासी कानपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम (1) श्री रामा पिता तेजा जी डांगी, निवासी कानपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (2) श्री चोखा पिता चतरा जी डांगी, निवासी कानपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (3) श्री माणक पिता चतरा जी डांगी, निवासी कानपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (4) श्री रतन पिता चतरा जी डांगी, निवासी कानपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (5) श्री माना पिता गंगा जी डांगी, निवासी कानपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (6) मु0 हरकू बाई बेवा गांगा जी डांगी, निवासी कानपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (7) श्री उदयलाल पिता कना उर्फ कसना जी डांगी, निवासी कानपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (8) मु0 जेती बेवा कना उर्फ कसना जी डांगी, निवासी कानपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (9) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री खेमराज डांगी, दिनेश डांगी अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम भोईयों की पंचोली, पटवार हल्का भोईयों की पंचोली, जिसमें वादीगण को खाता संख्या 41 आराजी संख्या 104 व 107 जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। अतः प्रतिवादीगण जो तेजा के वारिसान है, को कुल रकबा 0.2000 हैक्टयर में से 2/5 हिस्सा एवं वादीगण माना पिता नन्दा को 3/5 का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः राजस्व ग्राम भोईयों की पंचोली, पटवार हल्का भोईयों की पंचोली तहसील गिर्वा के खाता संख्या 41 आराजी संख्या 104 व 107 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2000 हैक्टयर में वादीगण माना पिता नन्दा डांगी को 3/5 एवं प्रतिवादीगण केसा पुत्र तेजा, कसना पुत्र तेजा, गांगा पुत्र तेजा, चतरा पुत्र तेजा, रामा पुत्र तेजा को संयुक्त रूप से 2/5 हिस्से एवम् प्रत्येक का 2/25 – 2/25 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिर्वा तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावें। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....रुपये की राशि .....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....द्वारा .....को दी जाए।

यह आज तारीख .....माह .....सन् ..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....
पद .....

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 10:59:58 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.08 10:59:58 IST
Reason: SelfAttested